

समाहरणालय, सिवान
(जिला सामान्य शाखा)

कार्यालय जिला पदाधिकारी, सिवान के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा
निर्देश के तहत)

प्रमाण-पत्र सं० 59/सा0शा0, दिनांक 07.01.2026

अंचलाधिकारी, बडहरिया के पत्रांक 590 दिनांक 20.05.2023 के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत
मौजा-मनसाहाता, थाना नं०-332, खाता नं०-54, खेसरा नं०-685 एवं 686 जिला सिवान के प्रयोक्ता ऐजेंसी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रैखिक परियोजना सिवान-सरफरा पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन
भूमि-0.01815 हे० वन भूमि के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता ऐजेंसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल
पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1795 दिनांक 08.11.2022 द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006)
प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।


तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक परियोजना
के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवरिधत वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्ष से कम अवधि
में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। परियोजना क्षेत्र के गांवों में एवं आस-पास वर्ष 2001 एवं
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है एवं इस रिटेल आउटलेट (पेट्रोल
पम्प) के खुलने से अनुसूचित जन जाति की आबादी प्रभावित नहीं होगी।

50
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as
forest less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no
recorded population of Scheduled Tribes, as per the Cenus-2001 and the census-2011

Place:-
Date:-




District Magistrate
and Office seal